## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता) थाना – प्रधान आरक्षी ,केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर 1. जिला – भ्र0नि0 ब्यूरो, बारा प्र0सू०रि० संख्या \ 85/22 दिनांक \ 17/5/22 2. (1) अधिनियम— ......धाराऐं— 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 (2) अधिनियम\_\_\_\_\_धाराऐं \_\_\_\_\_ (3) अधिनियम.....धाराऐं.....धाराऐं..... धाराऐं..... (4) अन्य अधिनियम एवं ..... दिनांक - 29.03.2022 3. (क) घटना का दिन :- मंगलवार 4. सूचना कैसे प्राप्त हुई- (लिखित या मौखिक)..... मौखिक 5. घटनास्थल का ब्यौरा :--(क) थाने से दिशा एवं दूरी – पूर्व दिशा की और करीब 80 किलोमीटर बीट संख्या......जुरामदेही सं...... (ख) पता :- सिरसा नदी की रपट शाहबाद तहसील शाहबाद, जिला बारां 6. शिकायतकर्ता / इतिला देने वाला :--(क) नाम :-- श्री जितेन्द्र राठौर (ख) पिता / पति का नाम :- श्री रामचरण राठौर (ग) जन्म तिथि / उम्र :- उम्र 34 साल (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय (इ) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान..... (च) व्यवसाय — ..... (छ) पता :- सिविल लाईन कट्टरा मोहल्ला वार्ड न 5 शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां 7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :--श्री जयप्रकाश नामदेव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद नामदेव जाति नामदेव उम्र 34 साल निवासी ग्राम व पोस्ट शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान हाल सरपंच ग्राम पंचायत शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां

8. शिकायत / इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :— कोई नहीं 9. चोरी हुई / लिखित सम्पति की विशिष्ठिया( यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें ).........

10. चोरी हुई / लिखित सम्पति का कुल मूल्य:-

11. पंचनामा / यूडी के संख्या (अगर हो तों ).....

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :--

## महोदय.

हालात इस प्रकार निवेदन है कि दिनांक 29.03.2022 समय 04.53 पी0एम0 पर परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर पुत्र श्री रामचरण जाति राठौर निवासी शाहबाद, थाना व तहसील शाहबाद जिला बारां ने मोबाईल नम्बर 7073282458 से मन अतिरिक्त्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत के मोबाईल नम्बर 9414084372 पर कॉल कर बताया कि मेरी पत्नी श्रीमति दीपिका राठौर के नाम जमीन का पट्टा ग्राम पंचायत शाहबाद जिला बारां द्वारा जारी किया हुआ है। इस पट्टे की पंजीयन कार्यालय में रिजस्टी करवाने के लिये हमारी ग्राम पंचायत शाहबाद के सरपंच श्री जयप्रकाश नामदेव 5000 रूपये रिश्वत मांग रहा है। मै सरपंच को रिश्वत नही देना चाहता। उसे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मै बारां नही आ सकता। मै मुन्डियर टोल पर मिल जाउंगा। आप कार्यवाही के लिये आपके कर्मचारी को यहां भिजवा दो। मेरी सरपंच से रिश्वत मांग के बारे में आज ही बात हो जायेगी। परिवादी जितेन्द्र राठौर की वार्ता अनुसार मामला रिश्वत मांग का व भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 का पाया जाता है। परिवादी के बताये अनुसार रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से समय 5.00 पी०एम० पर कार्यालय के मालखाने से सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर श्री दिनेश कानि0 360 को दिया गया तथा परिवादी जितेन्द्र राठौर के मोबाईल नम्बर 7073282458 से अवगत कराया गया। श्री दिनेश कानि0 को समझाईश की गई कि मुन्डियर टोल शाहबाद पहुचकर परिवादी से मोबाईल से सम्पर्क कर परिवादी से लिखित प्रार्थना पत्र लेकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने का तरीका समझाकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की

हिदायत कर मुन्डियर टोल शाहबाद रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकार्डर तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात समय 06.52 पी०एम0 पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर से मोबाईल नम्बर 7073282458 पर जर्ये मोबाईल वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आपके कार्यालय से आये श्री दिनेश जी कानि0 मुझे मुन्डियर टोल पर मिल गये है। जिनको मैने मेरी शिकायत की लिखित रिपोर्ट दी है। यह लिखित रिपोर्ट मैने लिखी है तथा इस पर मेरे हस्ताक्षर है। अब मै व दिनेश जी मोटर साईकिल से सरपंच के पास शाहबाद मेरे काम व रिश्वत सम्बंधी बात करने जा रहे है। इस पर परिवादी को आरोपी के पास जाकर अपने काम एवं रिश्वत के सम्बन्ध में स्पष्ट वार्ता करने हेतु समझाईश की गई तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर मे वार्ता रिकार्ड कर बन्द कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को लाकर पेश करने हेतु समझाईश की गई। समय 07.37 पी०एम० पर परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर ने मोबाईल नम्बर 7073282458 से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जर्ये मोबाईल अवगत कराया कि आपके कार्यालय से आये श्री दिनेश कानि० जी ने मुझे डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई । इसके बाद मैने जयप्रकाश सरपंच से मोबाईल नम्बर 9680496749 पर उसकी लोकेशन के सम्बन्ध में वार्ता की तो उसने मुझे सिरसा नदी की रपट शाहबाद पर आने के लिये कहा। उक्त मोबाईल वार्ता को आपके कार्यालय से आये श्री दिनेश जी कानि0 ने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया था। इसके बाद मै और दिनेश जी कानि0 मोटर साईकिल से जयप्रकाश सरपंच ने बतायी सिरसा नदी की रपट के लिये रवाना हुआ। रपट से कुछ दूरी पहले दिनेश जी ने मुझे मोटर साईकिल से उतार दिया था। मै डिजीटल वाईस रिकार्डर चालूँ कर सिरसा नदी की रपट पर गया जहां सरपंच जयप्रकाश उपस्थित मिला। सरपंच जयप्रकाश के साथ एक व्यक्ति और था जिसे मै नही पहचानता। वहां सरपंच से मेरे काम व रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता हुई जिसे मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। जयप्रकाश सरपंच ने मुझसे मेरे काम के लिये पाच हजार रूपये रिश्वत की मांग की है। वार्ता के बाद मैने दिनेश जी के पास आकर डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर लिया था। मेरे घर पर आवश्यक कार्य होने से व शाम का समय होने से आज मै बारां नही आ सकता। इस पर परिवादी को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बन्द डिजीटल वाईस रिकार्डर श्री दिनेश कानि० को सुपुर्द करने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की। श्री दिनेश कानि० से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वार्ता करने पर उसने परिवादी के कथनो की पुष्टि की। श्री दिनेश कानि0 ने बताया कि परिवादी शाम का समय हो जाने व घर पर आवश्यक कार्य होने से एसीबी कार्यालय बारां आने में असमर्थता जता रहा है। इस पर दिनेश कानि० को परिवादी से बन्दशुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर व परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र लाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश करने व परिवादी को वहीं से ही सकुशल रूखसत करने के निर्देश दिये।

इसके बाद समय 10.00 पी०एम० पर रवानाशुदा श्री दिनेश कानि० 360 उपस्थित कार्यालय आया तथा श्री दिनेश कानि० को पूर्व से सुपुर्दशुदा डिजीटल वाईस रिकार्डर व परिवादी जितेन्द्र राठौर द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर अवगत कराया कि निर्देशानुसार रवाना होकर मै मुण्डियर टोल पर पहुचा। जहां परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर से जर्ये मोबाईल सम्पर्क कर मिला। परिवादी ने श्रीमान के पदनाम से सम्बोधित एक लिखित प्रार्थना पत्र मुझे दिया जो स्वयं द्वारा लिखा होना तथा उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। मैने परिवादी को डिजीटल वाईंस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई। इसके बाद आरोपी सरपंच की लॉकेशन पता करने हेत् परिवादी से सरपचं के मोबाईल पर कॉल करवाया तो सरपंच ने सिरसा नदी की रपट पर मिलने के लिये कहा। उक्त वार्ता को मैने परिवादी के मोबाईल का स्पीकर चालू करवाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया था। इसके बाद परिवादी और मै मोटर साईकिल से जयप्रकाश सरपंच ने बतायी सिरसा नदी की रपट के लिये खाना हुये। रपट से कुछ दूरी पहले मैने परिवादी को उतारा। परिवादी डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर सिरसा नदी की रपट पर गया जहां सरपंच जयप्रकाश उपस्थित मिला। मै परिवादी से उचित दूरी बनाये हुये अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडा हो गया। कुछ समय बाद परिवादी मेरे पास आया तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर बताया कि मेरी सरपंच जयप्रकाश से मेरे काम व रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है। इस पर परिवादी की श्रीमान से बात करवायी व निर्देशानुसार परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर व उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र लेकर परिवादी को वहां से ही गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूखसत कर बारां आ गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। परिवादी जितेन्द्र राठौर द्वारा प्रस्तुतं शिकायत प्रार्थना पत्र जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों बारां के नाम इस आशय का था कि " मेरी पत्नी दीपिका राठोर शाहबाद के नाम पर सिविल लाईन कट्टरा मोहल्ला वार्ड नं0 5 शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां में कपडे की दुकान है जिसका पट्टा मैने कुछ दिनो पहले ही बनवाया था। अब मै दुकान की रजिस्ट्री करवाना चाहता हुं तो सरपंच जयप्रकाश नामदेव शाहाबाद ग्राम पंचायत का मेरी कपड़े की दुकान के पट्टे की रजिस्ट्री करवाने के लिये 5000 रू की रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरी व सरपंच जयप्रकाश नामदेव की कोई आपसी दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई उधार का लेन-देन शेष है। मै सरपंच जयप्रकाश नामदेव ग्राम पंचायत शाहाबाद को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हुं । रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश है"। इसके बाद डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुना गया तो परिवादी के कथनो व रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 30.03.2022 मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से जर्ये मोबाईल वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मेरी दुकान की रिजस्टी सोमवार दिनांक 04.04.2022 को होगी। उसी दिन सरपंच को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। तब तक मै रिश्वत राशि की व्यवस्था भी कर लूंगा। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को मामले की गोपनीयता बनाये रखने व रिश्वत राशि की व्यवस्था कर सम्पर्क करने की समझाईश की गई। तत्पश्चात दिनांक 03.04.2022 को परिवादी श्री जितेन्द्र राठोर ने जर्ये मोबाईल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं दिनांक 04.04.2022 को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर बारां आपके कार्यालय में आ जाउंगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता बरतने व आवश्यक समझाईश की गई।

इसके बाद दिनांक 04.04.2022 को श्री लोकेश कानि० 362 को दौ स्वतंत्र गवाह गोपनीय कार्यवाही हेतु साथ लाने के लिए पत्र कमांक 423 दिनांक 04.04.2022 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बारां के नाम देकर रवाना किया। कुछ समय बाद रवानाशुदा श्री लोकेश कानि० मय दो स्वतंत्र गवाह श्री इरविन हैनरी पुत्र जॉन हेनरी उम्र 29 साल निवासी म0न0 129 कैलाशपुरी कोटा हाल निवास श्रीराम कोलोनी अन्ता हाल कनिष्ठ सहायक उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) बारां मो०न० 9057935095 एवं श्री दिनेश पंकज पुत्र रामप्रसाद पंकज जाति धोबी उम्र 37 साल निवासी खजूरपुरा वार्ड न0 17 बारा हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण) बारां मो०न० 7062569159 के उपस्थित कार्यालय आया। गवाहान को कार्यालय में बैठाया गया। समय 10:58 एएम पर परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि दिनांक 29.03.2022 को आपसे मोबाईल पर वार्ता करने के बाद आपके कार्यालय से मुण्डियर टोल आये श्री दिनेश जी कानिo को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का दिया था कि '' मैरी पत्नी दीपिका राठोर शाहबाद के नाम पर सिविल लाईन कट्टरा मोहल्ला वार्ड न 5 शाहाबाद तहसील शाहाबाद जिला बारां में कपड़े की दुकान है जिसका पट्टा मैने कुछ दिनो पहले ही बनवाया था। अब मै दुकान की रजिस्ट्री करवाना चाहता हुं तो सरपंच जयप्रकाश नामदेव शाहाबाद ग्राम पंचायत का मेरी कपड़े की दुकान के पट्टे की रजिस्ट्री करवाने के लिये 5000 रू की रिश्वत की मांग कर रहा है। मेरी व सरपंच जयप्रकाश नामदेव की कोई आपसी दुश्मनी नहीं है और ना ही कोई उधार का लेन-देन शेष है। मै सरपंच जयप्रकाश नामदेव ग्राम पंचायत शाहाबाद को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुये पकडवाना चाहता हुं । रिपोर्ट कार्यवाही हेतु पेश हैं" इस पर दिनेश जी कानि० ने मुझे डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाई। इसके बाद आरोपी सरपंच की लॉकेशन पता करने हेतु मैने सरपचं के मोबाईल नम्बर 9680496749 पर कॉल किया तो सरपंच ने सिरसा नदी की रपट पर मिलने के लिये कहा। उक्त वार्ता को दिनेश जी ने मेरे मोबाईल का स्पीकर चालू करवाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया था। इसके बाद मै और दिनेश जी कानि० मोटर साईकिल से जयप्रकाश सरपंच ने बतायी सिरसा नदी की रपट के लिये रवाना हुये। रपट से कुछ दूरी पहले दिनेश जी ने मुझे मोटर साईकिल से उतार दिया था। मै डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर सिरसा नदी की रपट पर गया जहां सरपंच जयप्रकाश उपस्थित मिला। सरपंच जयप्रकाश के साथ एक व्यक्ति और था जिसे मै नही पहचानता। वहां सरपंच से मेरे काम व रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता हुई जिसे मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया था। जयप्रकाश सरपंच ने मुझसे मेरे काम के लिये पाचं हजार रूपये रिश्वत की मांग की है। वार्ता के बाद मैने दिनेश जी के पास आकर डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर लिया था व डिजीटल वाईस रिकार्डर दिनेश जी को दे दिया था। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि मेरे पास अभी रिश्वत की राशि नहीं है। मै थोडी देर में मेरे आधार कार्ड के जर्ये ईमित्र से पैसे निकलवाकर लाता हूं। इस पर परिवादी को तुरन्त रिश्वत राशि लेकर आने की हिदायत देकर रवाना किया गया। इसके बाद समय 11.25 ए०एम० पर परिवादी श्री जितेन्द्र राठोर वापस उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि मैं ईमित्र से जयप्रकाश सरपंच को रिश्वत में देने के लिये रूपये निकलवाकर ले आया हूँ। इस पर परिवादी का कार्यालय में मौजूद दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया। दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र पढकर उस पर अपने—अपने हस्ताक्षर किये। दोनो स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में गवाह बनने हेतु सहमति चाही तो दोनो गवाह ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी।

तत्पश्चात कार्यालय के मालखाने से सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं मोबाईल वार्ता जो परिवादी श्री जितेन्द्र राठोर एवं आरोपी जयप्रकाश नामदेव के मध्य दिनांक 29.03.2022 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री दिनेश कानि0 360 से लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसिकप्टे नियमानुसार पृथक—पृथक मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानि0 360 से तैयार करवायी गई। उक्त वार्ताओं में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की होना बताया जिसे परिवादी से एवं दूसरी आवाज आरोपी श्री जयप्रकाश नामदेव सरपंच ग्राम

ST

. पंचायत शाहबाद की होना बताया जिसे आरोपी से सम्बोधित किया गया एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में एक आवाज आरोपी के साथ खंडे व्यक्ति की होना परिवादी ने बताया जिसे अन्य व्यक्ति से सम्बोधित किया गया। फर्द द्रांसिकप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं मोबाईल वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों को पढाकर समझाकर हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.40 पी०एम० पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर ने निर्देशानुसार अपने पास से निकालकर आरोपी जयप्रकाश नामदेव, सरपंच ग्राम पंचायत शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच-पांच सौ रूपये के दस नोट कुल पांच हजार रूपये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, गोपाल सिंह कानावत को पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाये गये। श्रीमती किरण म0कानि० 589 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटो को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री इरविन हैनरी से लिवाई गई। परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुए पांच-पांच सौ रूपये के दस नोट कुल पांच हजार रूपये परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में श्रीमती किरण म0कानि0 589 से रखवाये गये। इसके बाद काँच के एक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्रीमती किरण म0कानि0 589 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोटो को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि / नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई। श्रीमती किरण म0कानि0 589 के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी सदस्यों, परिवादी व गवाहो ने भी अपने—अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर की हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेर कर या मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर मिसकॉल कर रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा करे। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा आरोपी से रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर को समझाईश की गयी। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया गया कि रिश्वत लेन-देन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें।

इसके बाद समय 01.05 पी0एम0 पर मन गोपाल सिंह कानावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर, स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश पंकज, एसीबी जाप्ता श्री राजेन्द्र मालव कानि० ३६२ व श्री दिनेश कानि० 360 प्राईवेट वाहन मय सरकारी लेपटॉप, ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले सामग्री एवं अन्य प्राईवेट वाहन से श्री अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस, स्वतंत्र गवाह श्री इरविन हैनरी, श्री उमाशंकर शर्मा हैड कानि0 125, श्री जितेन्द्र सिंह कानि० 514, श्री लोकेश कानि० 362 को साथ लेकर शाहबाद के लिये खाना होकर समय 02.30 पी0एम0 पर करबा शाहबाद के बाहर रोड पर पहुंचे। वाहनों को साईड में खडा करवाया। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि जयप्रकाश सरपंच अभी ग्राम पंचायत में ही होगा। यहां से ग्राम पंचायत कुछ ही दूरी पर है। परिवादी को आरोपी सरपंच के पास जाकर अपने काम व रिश्वत के सम्बन्ध में वार्ता करने व रिश्वत राशि देने के बाद रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा करने की पुनः समझाईश की गई। इसके बाद परिवाद से पूर्व में सुपुर्द डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करवाकर आरोपी सरपंच जयप्रकाश नामदेव के पास ग्राम पंचायत कार्यालय शाहबाद रवाना किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ता परिवादी के पीछे पीछे रवाना होकर ग्राम पंचायत कार्यालय शाहबाद से कुछ दूरी पहले रूक कर वाहनों को साईड में खडा करके परिवादी के ईशारे में द्रेप जाल बिछाया। समय 02.41 पी०एम0 पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर परिवादी जितेन्द्र राठौर के मोबाईल नम्बर 7073282458 से कॉल आया और परिवाद ने बताया कि जयप्रकाश सरपंच आज ग्राम पंचायत कार्यालय में नही है और उसका मोबाईल भी बन्द आ रहा है। इस पर परिवादी को ट्रेप पार्टी के पास आने के लिये कहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और परिवादी ने डिजीटल वाईस रिकार्डर बन्द कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर ग्राम पंचायत कार्यालय शाहबाद पहुचा। ग्राम पंचायत में कर्मचारी उपस्थित मिला जो सेकेट्री के नीचे काम करता है। हम गांव वाले उसको भी सेकेट्री साहब के नाम से सम्बोधित करते है। जिसने मेरे पूछने पर बताया कि सरपंच साहब आज सुबह से ही नही आये है। इस पर मैने सरपंच साहब को मोबाईल नम्बर 9680496749 पर कॉल किया तो उनका मोबाईल बन्द आ रहा है। मैने उस कर्मचारी से सरपंच के उपरोक्त मोबाईल नम्बर के अलावा दूसरे नम्बर जानने के लिये भी पूछा था तो उसने सरपंच के मोबाईल नम्बर 9680496749 ही बताये। मेरे व कर्मचारी के बीच हुई वार्ता को मैने डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया

on

था। तत्पश्चात परिवादी को हमराह लेकर मय हमराही जाप्ता के साथ लाये वाहनो से रवाना होकर शाहबाद से कुछ दूरी पर गोपनीय स्थान पर पहुचकर सरपंच के ग्राम पंचायत में आने का इन्तजार में मुकीम हुआ।

इसके बाद समय 04.00 पी0एम0 पर परिवादी को आरोपी सरपंच की लोकेशन पता करवाने हेत् कहने पर परिवादी ने उसके विश्वसनीय व्यक्ति से मोबाईल पर वार्ता कर बताया कि आरोपी सरपंच अभी भी ग्राम पंचायत में नही आया है और उसका मोबाईल भी बन्द आ रहा है तथा उसकी करबा शाहबाद में स्थित कपडे की दुकान भी बन्द है। सरपंच के बाहर जाने की संभावना है। समय 05.30 पी०एम० पर परिवादी द्वारा विश्वसनीय सूचना से जानकारी करने पर आरोपी सरपंच का ग्राम पंचायत कार्यालय शाहबाद में नही आने की संभावना होने पर देप कार्यवाही नही होने से स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश पंकज से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखी रिश्वत राशि को निकलवाकर एक लिफाफे में रखकर स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश पंकज के पास ही सुरक्षित रखवायी गई। परिवादी जितेन्द्र राठौर को आरोपी जयप्रकाश सरपंच के उपस्थित आने व रिश्वत के सम्बन्ध में सम्पर्क करने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने व मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर वही से संकुशल रूखसत किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता के साथ लाये वाहनो से एसीबी चौकी बारां के लिये रवाना होकर समय 07.00 पी०एम0 पर एसीबी कार्यालय बारां पहुचा। स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश पंकज से रिश्वत राशि 5000 रूपये का लिफाफा प्राप्त कर मय डिजीटल वाईस रिकार्डर श्री जितेन्द्र सिंह कानि० 514 से सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाह व जाप्ते को मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर स्वतंत्र गवाहान को संकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 05.04.2022 एवं 08.04.2022 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी जितेन्द्र राठौर के मोबाईल नम्बर 7073282458 पर कॉल कर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आरोपी सरपंच जयप्रकाश ग्राम पंचायत कार्यालय में नही आ रहा है तथा उसका मोबाईल भी बन्द आ रहा है। इस पर परिवादी को आरोपी से सम्पर्क होने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने व मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई। इसके बाद दिनांक 11.04.2022 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी जितेन्द्र राठौर के मोबाईल नम्बर 7073282458 पर कॉल कर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि आरोपी सरपंच जयप्रकाश शाहबाद में ही है परन्तु वह ग्राम पंचायत कार्यालय में नही आ रहा है तथा उसने मोबाईल भी बन्द कर रखा है। इस पर परिवादी को आरोपी से सम्पर्क होने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने व मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई।

तत्पश्चात दिनांक 13.04.2022 समय 08.56 ए०एम० पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी जितेन्द्र राठौर को उसके मोबाईल नम्बर पर कॉल किया तो परिवादी ने बताया कि सरपंच को मुझ पर शंका हो गई है। सरपंच ग्राम पंचायत में भी दिनांक 04.04.2022 के बाद से नही बैठ रहा है। उसका मोबाईल भी बन्द आ रहा है। जिस पर परिवादी को अग्रिम कार्यवाही के लिये कार्यालय में आने की समझाईश की। समय 12.50 पी०एम० पर परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर ने कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र राशि लौटाने के सम्बन्ध में मन गोपाल सिंह कानावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय का प्रस्तुत किया कि " मैने दिनांक 29.03.2022 को मेरी पत्नी दीपिका राठौर के नाम दुकान के पट्टे की रिजस्टी करवाने के लिए श्री जयप्रकाश नामदेव सरपंच ग्राम पंचायत शाहाबाद ने 5000 रूपये की मांग करने पर मैने आपको जर्ये मोबाईल सूचना देने पर आपने उसी दिन श्री दिनेश जी कानि0 को मेरे पास मुण्डियर टोल पर भेजा था। तब मैने दिनेश जी को लिखित रिपोर्ट दी थी। दिनेश जी से रिकार्डर लेकर उसी दिन सत्यापन करवाया था। सरपंच जयप्रकाश ने दिनांक 04.04.2022 को रजिस्ट्री करवाने के दिन रिश्वत राशि लेने की कहने पर श्रीमान मुझे व एसीबी टीम को लेकर शाहाबाद गये थे। परन्तु उस दिन सरपंच जयप्रकाश नामदेव पंचायत में नही था और उसका मोबाईल भी बन्द आ रहा था। दिनांक 04.04.2022 के बाद आज तक सरपंच जयप्रकाश नामदेव मुझे ग्राम पंचायत में नहीं मिला और मैने उसको मोबाईल कई बार किया तो उसका मोबाईल कल तक बन्द आ रहा था। इसलिये मुझे लगता है कि सरपंच जयप्रकाश नामदेव को मुझ पर शक हो गया है। इसलिये अब जयप्रकाश मुझसे रिश्वत राशि नहीं लेगा ना ही रिश्वत के सम्बन्ध में बात करेगा। अतः दिनांक 04.04. 2022 को मेरे द्वारा रिश्वत में दिये जाने हेतु दिये गये 5000 रूपये मुझे लौटाने की कृपा करे ।" परिवादी ने दरयाप्त पर बताया कि जयप्रकाश नामदेव सरपंच गांव में होते हुये भी पंचायत कार्यालय शाहबाद में भी नही आ रहा है और उसने मोबाईल भी बन्द कर रखा है। परिवादी के बताये अनुसार ट्रैप कार्यवाही होने की सम्भावना प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कार्यवाही के दोनो स्वतंत्र गवाह श्री इरविन हैनरी कनिष्ठ सहायक एवं श्री दिनेश पंकज चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां को लेकर आने हेतु श्री दिनेश कानि० ३६० को एक तहरीर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां के नाम देकर रवाना किया गया। कुछ समय पश्चात रवानाशुदा श्री दिनेश कानि० ३६० मय स्वतंत्र गवाहान श्री दिनेश पंकज पुत्र रामप्रसाद जाति धोबी उम्र 37 साल निवासी खजूरपुरा वार्ड न0 17 बारां हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण ) बारां मो०न० ७०६२५६९१५९ श्री अभिमन्यु शर्मा पुत्र श्री विपिन शर्मा

M\_

जाति बाह्मण उम्र 21 साल निवासी आदर्श नम्बर बीएसएनएल टावर वाली गली, कोटा रोड बारां, थाना कोतवाली बारां, जिला बारां हाल किनष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां मोबाईल नम्बर 8209425620 के उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि कार्यवाही का एक गवाह श्री इरिवन हैनरी किनष्ठ सहायक अवकाश पर होने से स्वतंत्र गवाह श्री इरिवन हैनरी के स्थान पर श्री अभिमन्यु शर्मा किनष्ठ सहायक को भिजवाया है। दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर से करवाया गया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया। दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर अपने—अपने हस्ताक्षर किये। गवाह श्री अभिमन्यु से कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के रूप में उपस्थित रहने हेतु स्वीकृति चाही तो गवाह ने मौखिक स्वीकृति दी।

तत्पश्चात समय 01.35 पी०एम० पर कार्यालय के मालखाने से सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया गया। परिवादी जितेन्द्र राठौर व दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता जो दिनांक 04.04.2022 को परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर को आरोपी जयप्रकाश नामदेव से वार्ता कर रिश्वत राशि देने हेतु ग्राम पंचायत शाहबाद भिजवाने पर परिवादी द्वारा आरोपी सरपंच के नही मिलने से उसके बारे में जानकारी करने के लिये ग्राम पंचायत शाहबाद के कर्मचारी से की गई वार्ता जिसे सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया था, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री दिनेश कानि0 360 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर फर्द द्रांसिकप्ट नियमानुसार मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री दिनेश कानि० ३६० से हुबहु तैयार करवायी गई। उक्त वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाज ग्राम पंचायत शाहबाद जिला बारां के कर्मचारी की होना पहचान की। फर्द द्वांसिकप्ट वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 02.40 पी0एम0 पर कार्यालय के सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर में दिनांक 29.03.2022 को रिकार्ड मोबाईल वार्ता जो परिवादी जितेन्द्र राठौर ने आरोपी जयप्रकाश नामदेव सरपंच ग्राम पंचायत शाहबाद जिला बारां की लोकेशन जानने के लिये आरोपी जयप्रकाश से की थी, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 04.04.2022 को परिवादी व ग्राम पंचायत शाहबाद के कर्मचारी के मध्य हुई वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में सेव किया गया। दोनो गवाहो एवं परिवादी के समक्ष उक्त तीनो वार्ताओं की कार्यालय के लेपटॉप से चार डी०वी०डी० श्री दिनेश कानि० 360 से नियमानुसार डब करवायी गई। जिनमें से एक डी०वी०डी० माननीय न्यायालय के लिए, एक डी०वी०डी० आरोपी के लिए एवं एक डी0वी0डी0 आवाज नमूना की कार्यवाही के लिएे कपडे की थेली में रखकर सील मोहर किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। एक डीoवीoडीo बिना सील के अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे में रखी गयी। कार्यवाही की फर्द डीoवीoडीo डिबेंग वार्ता व जप्ती डीoवीoडीo नियमानुसार तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त चारों डीवीडीयां मालखाने में सुरक्षित रखवायी गयी।

इसके बाद समय 03.30 पी०एम० पर दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर द्वारा दिनांक 04.04.2022 को पेशकशी के दौरान मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द की गई रिश्वत राशि पांच—पांच सौ रूपये के दस नोट कुल पांच हजार रूपये फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त को श्री जितेन्द्र सिंह कानि० 514 से मालखाने से निकलवाया गया। रिश्वत राशि पांच हजार रूपये का फिनोफ्थलीन पाउडर झटका कर परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर को वापस लौटाया गया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी रिश्वती राशि नियमानुसार तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी द्वारा जये वाट्सअप मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भिजवाये उसकी पत्नी दीपिका राठौर के आवासीय भूमि के पट्टे व आधार कार्ड की कार्यालय कम्प्यूटर से प्रिन्ट करवाकर परिवादी से स्वप्रमाणित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये। बाद कार्यवाही समय 05.05 पी०एम० पर परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर व स्वतंत्र गवाहान श्री अभिमन्यु शर्मा कनिष्ठ सहायक एवं श्री दिनेश पंकज चतुर्थ श्रेणी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारां को रूखसत किया गया।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री जितेन्द्र राठौर पुत्र श्री रामचरण जाति राठौर निवासी शाहबाद, थाना व तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान की पत्नी दीपिका राठौर के नाम पर सिविल लाईन कट्रा मोहल्ला वार्ड नं0 05 शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां में कपडे की दुकान है। जिसका पट्टा परिवादी जितेन्द्र राठौर ने कुछ दिन पहले ही बनवाया था। उक्त दुकान की रजिस्ट्री करवाने के लिये परिवादी, सरपंच ग्राम पंचायत शाहबाद जिला बारां श्री जयप्रकाश नामदेव से मिला तो सरपंच ने परिवादी से दुकान की रजिस्ट्री करवाने के लिये पांच हजार रूपये रिश्वत की मांग करने पर परिवादी जितेन्द्र राठौर ने दिनांक 29.03.2022 को एक हस्तिलिखित शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां के नाम पेश की। शिकायत का उसी दिन रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया तो आरोपी जयप्रकाश सरपंच परिवादी से उसकी दुकान की रजिस्ट्री करवाने के लिये पांच हजार रूपये रिश्वत लेने के लिये सहमत हुआ तथा रिश्वत राशि पांच हजार रूपये रिजस्ट्री के दिन देना तय हुआ। जिसकी पुष्टि फर्द ट्रांसिकिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 29.03.2022 से होती है।

इसके बाद परिवादी जितेन्द्र राठौर ने बताया कि उसकी पत्नी के नाम दुकान की रजिस्ट्री दिनांक 04.04.2022 को होगी। इस पर दिनांक 04.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। कस्बा शाहबाद पहुंचकर परिवादी को रिश्वत राशि आरोपी जयप्रकाश सरपंच को देने हेतु डिजीटल वाईस रिकार्डर देकर ग्राम पंचायत शाहबाद रवाना किया था। कुछ समय बाद परिवादी ने जर्ये मोबाईल बताया कि आरोपी सरपंच ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं है और उसका मोबाईल भी बन्द आ रहा है। इस पर परिवादी को वापस बुलाकर कस्बा शाहबाद से कुछ दूरी पर गोपनीय स्थान पर मुकीम रहकर आरोपी सरपंच के आने का इन्तजार किया। परिवादी द्वारा उसके विश्वसनीय व्यक्ति से आरोपी सरपंच के बारे में जानकारी की तो सरपंच का कस्बा शाहबाद में उपस्थित नहीं होना ज्ञात हुआ। जिससे रंगे हाथो द्रेप की कार्यवाही नहीं हो सकी। ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी के मोबाईल से आरोपी सरपंच के मोबाईल पर कई बार फोन करवाया तो मोबाईल स्वीच ऑफ होना बताया।

इसके बाद दिनांक 13.04.2022 को परिवादी ने उपस्थित कार्यालय आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र रिश्वत राशि वापस लौटाने बाबत मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश कर बताया कि दिनांक 04.04.2022 के बाद से ही जयप्रकाश नामदेव सरपंच ग्राम पंचायत कार्यालय में नहीं आ रहा है और उसका मोबाईल भी बन्द आ रहा है। जयप्रकाश सरपंच ने भी मुझसे रिश्वत के सम्बन्ध में सम्पर्क नहीं किया है। मुझे लगता है कि सरपंच जयप्रकाश नामदेव को मुझ पर शक हो गया है। इसलिये वह अब मुझसे रिश्वत नहीं लेगा और ना ही रिश्वत के सम्बन्ध में बात करेगा। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व बताये अनुसार अब देप कार्यवाही की संभावना नहीं होने से परिवादी को नियमानुसार ट्रेप राशि वापस लौटायी गई व अन्य कार्यवाही की गई।

इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपी श्री जयप्रकाश नामदेव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद नामदेव जाति नामदेव उम्र 34 निवासी ग्राम व पोस्ट शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां राजस्थान हाल सरपंच ग्राम पंचायत शाहबाद तहसील शाहबाद जिला बारां का कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है।

(गोपाल सिंह कानावत) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां।

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गोपाल सिंह कानावत, अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) श्री जयप्रकाश नामदेव, सरपंच, ग्राम पंचायत शाहबाद, तहसील शाहबाद, जिला बारां के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 185/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

्रो २ १७.५.२२ पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक 1638-42 दिनांक 17.05.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।
- आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (द्धितीय), ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर।
- 4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।